फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम जोधपुर

ओमंकवर वगै. बनाम सुरेन्द्रसिह

किस्म मुकदमा : 225 आरटीए अपील सं.19/2017
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00157)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2018	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित। रेस्पो के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसका जबाब अपीलांट अधिवक्ता की ओर से पेश हुआ जो शामिल फाइल किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी पर प्रार्थी/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित एवं अप्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट/प्रार्थी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हए कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलांट सं. 2 भरतसिंह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था एवं जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होता है उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है एवं न ही वह अपीलांट संख्या 2 के रूप में पक्षकार बन सकता है। अपीलांट संख्या 2 ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, न किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की है। उपरोक्त स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपूर्ण हैएवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है इसलिए चलने योग्य नहीं हैं। उपरोक्त आपत्ति को प्राथमिक रूप से निर्धारण करते हुए मात्र इसी आधार पर यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम पांचला खुर्द की भूमि खसरा नं. 769/1 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं. 910/1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट ओम कंवर एवं सोहन कंवर की खातेदारी की है। सोहन कंवर ने दिनांक 20.01.2015 को अपनी खातेदारी की इन भूमियों एव अन्य भूमियों में हिस्से की अपीलांट भरतसिंह के पक्ष में वसीयत कर वसीयत रजिस्ट्री करवा दी थी। इस कारण वसीयत के जरिए सोहनकंवर के देहांत के बाद उसके हिस्से की भूमि का खातेदार हो गया है। अतः इस भूमि के संबंध में पारित आदेश से यह प्रभावित व्यक्ति होने से उसे अपील का अधिकार है। रेस्पोडेंट ने सूरज कंवर से	
16/8	---लगातार	

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम जोधपुर

वसीयत के आधार पर दावा किया है अतः रेस्पोडेंट को इस प्रकार की आपत्ति पेश करने का अधिकार नहीं हैं। रेस्पोडेंट का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। अपीलांट संख्या 2 भरतसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे में पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है तथा अपील के मद संख्या 2 में अपीलांट ने स्पष्ट लिखा है कि सोहनकंवर ने दिनांक 20.1.2015 को अपीलांट भरतसिंह के पक्ष में वसीयत कर दी थी अतः सोहन कंवर के देहांत के बाद जरिए वसीयत सोहन कंवर के हिस्से का खातेदार हो गया तथा वह ही इस भूमि पर काश्त की व्यवस्था करता आ रहा है अतः उसे अलग से अपील के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत अपील में यह तथ्य है कि अपीलांट संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। अतः प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट सं. 2 भरतसिंह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था एवं जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होता है उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है एवं न ही वह अपीलांट संख्या 2 के रूप में पक्षकार बन सकता है। अपीलांट संख्या 2 ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत भी कोई प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, न किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की है। अपील पर एवं शपथ पत्र पर केवल अपीलांट संख्या 2 भरतसिंह के ही हस्ताक्षर हैं तथा अपीलांट ने जिस वसीयत का हवाला अपील में दिया है वह अपील के साथ प्रस्तुत भी नहीं की गई है। अपील अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र के अभाव में उपरोक्त स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपूर्ण है एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है इसलिए चलने योग्य नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेंट का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सी. पी.सी स्वीकार किया जाता है एवं तदनुसार अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति के लौटाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर